

संख्या: /XXIV-2/2004

प्रेषक,  
राजेन्द्र सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तरांचल शासन


सेवा में,  
सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र - 2,  
सामुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 07 जून, 2004

विषय: हरिश्चन्द्र रामकली देवी पब्लिक स्कूल बरोड़ी, लक्सर,  
जनपद हरिद्वार को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से  
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि  
हरिश्चन्द्र रामकली देवी पब्लिक स्कूल बरोड़ी, लक्सर, जनपद हरिद्वार को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये  
जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन-आपत्ति  
नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सासाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण  
कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /  
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे  
उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न  
कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की  
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा  
बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की  
सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त  
होने की शिर्षि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त

  
PRINCIPAL  
H.R. Public Sch. (10+2), CBSE  
Laksar, Haridwar (U.K.)  
School No.- 81408, Affil. No.- 3530174

-2-

- मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो  
जायेंगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता  
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों  
तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए  
जायेंगे।
  - 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त  
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के  
अनुरूप सेवानिवृत्ति के लागू उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए  
जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
  - 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजीकों में रखा  
जायेगा।
  - 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई  
परिवर्तन/ संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
  - 10- विद्यालय द्वारा शिक्षक /कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते राज्य  
सरकार के समतुल्य दिये जायेंगे।
  - 11- शिक्षक कक्षा एवं प्रयोगशाला निर्धारित माप के से कम हैं।  
एक वर्ष के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य  
होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त  
प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी  
भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार  
द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव